(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

अधिसूचना सं. 34 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक : 29 जनवरी, 2016

विषयः विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.05 (ग) में संशोधन।

सा0 आ0 (अ) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति (2015–20) के मौजूदा पैरा 2.05 (ग) को संशोधित करती है और पैरा 2.05 के तहत एक नए प्रावधान भाग (घ) की शुरूआत करती है। मौजूदा पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

2.05 आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी)

(ग) संक्षेप में, आईईसी के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने/अपलोड करने के लिए अपेक्षित विवरण/दस्तावेज (स्कैन की गई प्रतियां) निम्नलिखित है :

(i) आईईसी के लिए कंपनी का विवरण :
(1) व्यापारिक कंपनी का पैन जिसके नाम पर आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में एकल आवेदक)।
(2) आवेदक कंपनी के पते का प्रमाण।
(3) एलएलपीआईएन/सीआईएन/पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या (जो भी लागू हो)।
(4) कंपनी के बैंक खाते का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एएनएफ–2क (I) में कंपनी का पहले से मुद्रित नाम वाला निरस्त किया हुआ चैक अथवा बैंक का प्रमाण–पत्र।

(ii) सोसाइटी का स्वामी/साझीदार/निदेशक/सचिव अथवा मुख्य कार्यकारो अधिकारी/कंपनी का प्रबंधक न्यासकर्ता :
(1) पैन (सभी श्रेणियों के लिए)
(2) डीआईएन/डीपीआईएन (कंपनी/एलएलपी फर्म के मामले में)

(iii) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का विवरण :

(1) पहचान का प्रमाण
(2) पैन
(3) डिजिटल फोटोग्राफ

2. संशोधन के बाद पैरा 2.05 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

2.05 आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी)

(ग) आईईसी के आवेदन–पत्र के साथ केवल निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से अपलोड किया जाना अपेक्षित है :

(1) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ;
(2) व्यापारिक कंपनी का पैन जिसके नाम पर आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में एकल आवेदक);
(3) निर्धारित प्रपत्र एएनएफ–2क (I) में कंपनी का पहले से मुद्रित नाम वाला निरस्त किया हुआ चैक अथवा बैंक का प्रमाण–पत्र।

3. नई प्रविष्टि, भाग (घ) को पैरा 2.05 के तहत निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

(घ) आवेदकों द्वारा केवल आईईसी/आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी–II अथवा श्रेणी–III) के माध्यम से किया जा सकता है।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः इस अधिसूचना की तारीख से आईईसी के लिए आवेदन/प्रस्तुत करते समय डिजिटल फोटोग्राफ के साथ केवल दो दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा केवल आईईसी/आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी–II अथवा श्रेणी–III) के माध्यम से किया जा सकता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft[at]nic[dot]in

[फा0 सं0 01/89/180/20/एएम–13/पीसी–2 (ख) से जारी]